NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :91/NCRES/19

Date : 25.03.2019

श्रीमान प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :– नये यूनीफाइड MOU के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों को इलाज हेतु अन्य रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट हास्पिटलो मे सीधे रिफर करना।

संदर्भ :– (i) NCRES का पत्र संख्या 72/NCRES/19 दिनांक 28.2.2019
(ii) प्रधान कार्यालय का पत्र संख्या 10 मेड/एन.सी.आर.ई.एस./विविध दिनांक 05.03.2018
(iii) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition दिनांक 23.12.2016

महोदय,

खेद के साथ अवगत कराना है कि NCRES के पत्र दिनांक 28.02.2019 के विषय को गम्भीरता से नही लिया गया और पत्र मे त्रुटिवश टाइप शब्द "इमरजेन्सी" को संज्ञान में लेकर दिनांक 05.03.2018 के पत्र द्वारा जवाब तो दिया गया लेकिन पत्र के मुख्य विषय को छोड़ दिया गया।

कृपया निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाय।

(1) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों को हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट, कैंसर आदि अन्य गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु वर्तमान में केवल नार्थ सेन्ट्रल रेलवे से सम्बद्ध प्राईवेट चिकित्सालयों में सीधे रिफर किया जाता है।

(2) NCRES ने अपने पत्र दिनांक 28.2.2019 द्वारा अवगत कराया था कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.12.2016 के अनुसार किसी भी रेलवे से सम्बद्ध प्राईवेट हास्पिटल में अन्य जोन के कर्मचारी भी इलाज के लिये यूनीफाइड MOU के द्वारा M/S UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से सीधे रिफर किये जा सकते है।

NCRES का अनुरोध है कि उप्ररोक्त तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition दिनांक 23.12.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के लाभार्थियो को हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, कैंसर आदि अन्य गम्भीर बीमारियों के बेहतर इलाज हेतु अन्य जोनो से सम्बद्ध प्राइवेट चिकित्सालयों

में यूनिफाइड MOU के द्वारा M/S UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से सीधे रिफर करने हेतु प्रक्रिया बनाई जाय और उससे NCRES को भी अवगत कराया जाय ताकि अधिक से अधिक प्रचार हो और कर्मचारी लाभ पा सके।

संलग्नः— रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 23.12.2016

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री